संख्या-24/2015/998/35-3-2015-1(4)/2013

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- समस्त उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: 04 अगस्त, 2015**

विषय: सेवा संवर्गों की समस्याओं/ कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-2-ई0एम0/2009-का-4-2015, दिनांक 21 जुलाई, 2015 (जो समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन/विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष/ मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित एवं प्रेषित है) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सन्दर्भित शासनादेश का निहितार्थ है कि सेवा संवर्गों की समस्याओं/ कठिनाईयों के सम्बन्ध में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके निराकरण के संबंध में प्रत्येक स्तर पर प्रयास किये जाये। यह प्रयास भी किये जाये कि ऐसी समस्याएं/कठिनाईयॉ, जो जिले स्तर पर निस्तारित हो सकती हैं, उनका निराकरण जिले स्तर पर, जिन समस्याओं/ कठिनाईयों का निस्तारण मण्डल स्तर पर हो सकता है, उनका निस्तारण मण्डल स्तर पर तथा जिन समस्याओं/ कठिनाईयों का निराकरण विभागाध्यक्ष स्तर पर हो सकता है, उनका निस्तारण विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जाये। ऐसी समस्याएं/ कठिनाईयॉ, जिनका विभागाध्यक्ष के स्तर पर निराकरण न हो सके, का निराकरण संबंधित प्रमुख सचिव/ सचिव के स्तर पर किया जाये साथ ही यह भी प्रयास हो कि सेवा संवर्गों की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होता रहे जिससे कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों में सरकारी कर्मियों का पूरा योगदान लिया जाये तथा हमारी नीति ऐसी हो कि इनका मनोबल ऊँचा रहे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-2-ई0एम0/2009-का-4-2015, दिनांक 21 जुलाई,2015 में निहित निर्देशों के अनुपालन में संबंधित सेवा संगठन की समस्याओं/कठिनाईयों का निराकरण किये जाने के संबंध में प्रथम बैठक 15 अगस्त, 2015 के पूर्व अवश्य कर ली जाये तथा कृत कार्यवाही का विवरण शासन स्तर पर समीक्षा हेतु तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये एवं संबंधित सेवा संगठनों के साथ प्रत्येक त्रैमास में बैठकें आयोजित करा कर उनकी समस्याओं का निराकरण करायें और आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के माध्यम से प्रत्येक त्रैमास के तत्काल उपरान्त कृत कार्यवाही का विवरण शासन को उक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर-2 (च) में निहित निर्देशानुपालन में शासन स्तर पर समीक्षा हेतु उपलब्ध कराते हुये शासनादेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-24/2015/998(4)/35-3-2015, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- नियोजन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।